

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-80/2021-22/

Date 01.02.2022

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners of Uttar Pradesh State

@ 31% w.e.f. 01.07.2021 - reg.

Ref: 1. O.M. No. 24/2021-G-3-804/X-2021-301/2000T.C. dated Lucknow 22.12.2021 of

Government of Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3

2. SSA No. Pension Misc/1012 dated 17.01.2022 received from the Office of the

Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Allahabad.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Prayagraj regarding grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners of Uttar Pradesh State @ 31% w.e.f. 01.07.2021. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension — download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

The Director of Treasuries
 Thiruvananthapuram

Sr. Accounts Officer (Pension)
 O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh
 Sarojani Nadu Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh
 (For information)

-50.

Sr. Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in

फैक्स/Fax: 0471-2330242

टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100

वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

P19/11/85A)80 21/01/2022



P19 256613 28/01/22



कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०)द्वितीय 20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांकः-पेंशन विविध/ 17/ ७//२०१२

दिनांक:-

सेवा मे. AG(ALE) Kerela,
MG Road,
Thirvanan Habwam

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

शासनादेश :- उ0प्र0 शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या - 24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/2000 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22/12/2021

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि ।

भवदीय

वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/2000टी0सी0

लखनऊ : दिनॉक 22 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-6/2021/22099/1401/2020- वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24 अगस्त, 2021 सपठित शासनादेश संख्या-07/2021/आई/91548/2021-फा0नं0-10-22099/1401/2020-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महँगाई राहत की दर 17 प्रतिशत से बढ़कार 28 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अन्सार

Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No.24/2021-G-3-804/X-2021-301/2000T.C.

Dated: Lucknow: 22 December, 2021

Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

Vide government order No. 6/2021/22099/1401/2020-

Finance Section-22-Finance Department, Dated 24 August, 2021 read with government order No. 07/2021/I/91548/2021/File no-10-22099/1401/2020-22,

Dated 25 August, 2021 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 17 percent to 28 percent w.e.f. July 01, 2021.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. July 01, 2021 on the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधित/ स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2021 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 28 प्रतिशत से बढकर दिनॉक 01 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत हो जायेगी।

3- As a consequence of the abovementioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 28 percent to 31 percent with effect from July 01, 2021.

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पंशनरों/ पारिवारिक पंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners /family pensioners are being issued.

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ln से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत विभाग निधि राज्य institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे Education Departments, whose पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान pension / family pension is at par पेंशन/पारिवारिक पेंशन अन्मन्य है, पर भी with that of the pensioners of the लागू होंगे। State Government. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-As per orders issued in O.M. No. A - 1-252 / X- 10 (3)-81, 252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, dated April 1982 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर Accountant General's authority is अतिरिक्त राहत आदि के भ्गतान के लिए not necessary for payment of महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र relief of pension and as such आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भ्गतान the payment of dearness relief shall be made by the concerned अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के pension disbursing authorities on आधार पर ही उपरोक्तान्सार अन्मन्य the basis this office महँगाई भगतान कर राहत का memorandum alone. जायेगा। महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध 8- Other terms and conditions में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, orders shall remain applicable as पूर्ववत् लागू रहेंगे। before. (नील रतन कुमार), (Neel Ratan Kumar) Special Secretary, Finance. विशेष सचिव, वित्त। सेवा में. To, (1)-All Additional Chief Secretaries (1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर

Principal

Secretaries

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

- (2)-महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज!
- (3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - (4)-समस्त राज्यों के महालेखाकार।

Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

- (2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.
- (3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.
- (4)- Accountants General of all states.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।